

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले सं० - 1093 वर्ष 2026**

अवधेश सिंह और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती अंगूरा

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : शिवेन्द्र प्रताप सिंह, आशुतोष वर्मा, संतोष मिश्राप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं० - 5**माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा, साथ ही साथ राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय (अवर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खंड), न्यायालय सं०. 3, उन्नाव के न्यायालय में एक वाद प्रतिवादी द्वारा भरण-पोषण के लिए दाखिल किया गया था, जिसमें भीम सिंह पुत्र सजुर पाल सिंह को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था जो कि प्रतिवादी का पति था। उक्त मुकदमे में, यह आरोप लगाया गया था कि उसके पति, जिनका नाम, भीम सिंह है, ने उसके भरण-पोषण की उपेक्षा की है और वैवाहिक दायित्वों को पूरा नहीं किया है तथा वैवाहिक घर में पति पूरी तरह से अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी के प्रभाव में था।

4. पति और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर प्रतिवादी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया उन्होंने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और फिर सबने मिलकर अंगूरा देवी को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया। इसके आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भीम सिंह के बड़े भाई का निधन हो गया जिसके बाद भीम सिंह जो कि उनकी पत्नी के पति हैं अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ रहने लगे और अपनी पत्नी (प्रतिवादी) की उपेक्षा करना जारी रखा। प्रतिवादी अपने रिश्तेदारों के साथ 20-22 वर्षों की अवधि तक रही थी और इस दौरान उसके पति-भीम सिंह द्वारा उसे कोई भी आर्थिक सहायता अथवा भरण-पोषण प्रदान नहीं किया गया। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि भीम सिंह, गाटा संख्या 195 क्षेत्रफल 0.667 हेक्ट, गाटा संख्या 343 क्षेत्रफल 1.325 हेक्ट और गाटा संख्या 778 क्षेत्रफल 0.678 हेक्ट पर स्थित कुल 2.659 हेक्ट भूमि के हिस्से के मालिक थे, जिससे उक्त संपत्ति में उनका हिस्सा आधा था। उपर्युक्त के अलावा, गाँव में एक आवासीय मकान था।

5. भीम सिंह ने मुकदमे की कार्यवाही में भाग लिया था और अपना लिखित बयान भी

प्रस्तुत किया था लेकिन बाद में उनकी अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे बढ़ी। व्यवहार न्यायालय (अ० खं०), उन्नाव ने तथ्यों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए इस बात का भी संज्ञान लिया कि भीम सिंह ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण की उपेक्षा की थी और यह भी कि उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था और परिणामस्वरूप भरण-पोषण का मामला स्पष्ट रूप से बनता था और अतः 19.02.2007 के निर्णय और आदेश के माध्यम से वाद की कार्यवाही का निर्णय पतिवादियों को प्रति माह 800/- रुपये भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश देते हुए पारित किया और कथित राशि उस संपत्ति से वसूलने योग्य थी, जिसका विवरण 19.02.2007 के आदेश में दिया गया है, जिसमें पति का आधा हिस्सा था।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि 19.02.2007 का निर्णय और आदेश पारित होने के शीघ्र बाद ही 29.12.2008 को भीम सिंह का निधन हो गया। याचिकाकर्ता जो प्रतिवादी के पति भीम सिंह का भतीजा है, यह कहता है कि भीम सिंह ने 12.05.2008 को अपनी मृत्यु से पूर्व उसके पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी जिसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण संपत्ति उसे वसीयत कर दी गई थी। संपत्ति के उक्त हस्तांतरण के कारण ही याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के दिनांक 19.02.2007 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि भीम सिंह ने अपने जीवनकाल में 19.02.2007 के निर्णय और आदेश को वापस लेने के लिए सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था जिसे 05.06.2010 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

7. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें व्यवहार न्यायालय (अ०. खं०.) द्वारा

19.02.2007 को पारित निर्णय और आदेश की सूचना 19.12.2012 को ही मिली और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उन्नाव के न्यायालय में एक अपील दाखिल की जिसे वाद सं०. 159/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील 11 वर्षों के विलम्ब के बाद दाखिल किया गया था। विलम्ब की माफी हेतु आवेदन में, याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि उन्हें इन कार्यवाहियों की जानकारी केवल 19.12.2012 को प्राप्त हुई और तत्पश्चात उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें यह उचित विधिक परामर्श नहीं दिया कि दिनांक 19.02.2007 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की जानी चाहिए। यह कहा गया है कि बाद में निष्पादन की कार्यवाही के दौरान ही एक अन्य अधिवक्ता से संपर्क किया गया और उनसे कानूनी राय ली गई कि अपील दायर की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अपील दायर की गई।

8. अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आधारों पर विचार करते हुए यह सुविचारित मत व्यक्त किया कि भले ही स्वयं याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसे 19.12.2012 को विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों की जानकारी हो गई थी तथापि अपील उसके 6 वर्ष बाद अत्यंत विलंब से दायर की गई। वह आगे इस मत के भी थे कि याचिकाकर्ता स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार नहीं था और केवल इस तथ्य के कारण कि विवादित संपत्ति याचिकाकर्ता के पक्ष में वसीयत नहीं की गई थी, उसने दिनांक 19.02.2007 के आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया था।

9. उपर्युक्त परिस्थितियों में ही, प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.11.2025 के आदेश की, तथा साथ ही व्यवहार न्यायालय (अ०. खं०.), उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 19.02.2007 के निर्णय एवं आदेश

की वैधता को चुनौती दी है। यह पाया गया है कि अंतर्गत/धारा 18 हिन्दू दत्तक तथा अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की कार्यवाही शुरू की गई थी। उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार, एक हिंदू पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार बिना अपने भरण-पोषण के अधिकार को खोए हुए है और धारा 2 (बी) आगे स्पष्ट करती है कि अलग रहने का अधिकार इस आधार पर होना चाहिए कि उसके साथ क्रूरता की गई हो जिससे उसे यह उचित आशंका हो कि पति के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

10. उन्होंने आगे कहा है कि प्रस्तुत मामले में धारा 18 (2) के प्रावधान भी लागू होते हैं क्योंकि उनके पति ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ रहना शुरू कर दिया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में ही पति, अर्थात् भीम सिंह, विचारण न्यायालय के समक्ष विधिवत उपस्थित हुए और उक्त कार्यवाही में भाग लिया। विचारण न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि वादी पिछले 20-22 वर्षों से अलग रह रही थी और उसके पति ने इस अवधि में उसे किसी भी प्रकार का भरण-पोषण नहीं दिया। इसके अतिरिक्त वादी के दावे के अनुसार यह भी दस्तावेजों में था कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सताया गया था और यह भी कि इस बीच उसके पति के बड़े भाई का निधन हो गया था और प्रतिवादी अपनी भाभी के साथ वैवाहिक घर में रहता रहा। तदनुसार, भरण-पोषण का एक मामला स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था और 19.02.2007 को प्रतिवादी के पक्ष में डिक्ली पारित की गई थी जिसमें यह माना गया था कि वह प्रति माह 800/- रुपये के भरण-पोषण की हकदार है और उक्त राशि उसके पति के स्वामित्व वाली संपत्ति से वसूल करने का निर्देश दिया गया था, जिसका विवरण उक्त आदेश में दिया गया था।

11. यह संज्ञान में आया है कि पति के जीवनकाल में उक्त आदेश को निरस्त करने

हेतु एक आवेदन भी पारित किया गया था, जिसे 05.06.2010 को खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसी बीच 12.05.2008 को भीम सिंह-वादी के पति का हिस्सा याचिकाकर्ता के नाम वसीयत कर दिया गया जो उनका भतीजा था और इसी हैसियत से उसने उस कार्यवाही को चुनौती देने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप 19.02.2007 को विपक्षी के पक्ष में निर्णय और आदेश पारित हुआ था। उक्त अपील 18 वर्षों के विलम्ब के बाद दाखिल किया गया था।

12. उपरोक्त के अलावा, अपीलीय न्यायालय ने यह पाया है कि याचिकाकर्ता, व्यवहार न्यायालय (ओ खं०), न्यायालय संख्या 3, उन्नाव के समक्ष चल रही मुकदमे की कार्यवाही में एक पक्षकार था और तदनुसार, भले ही वह विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश से किसी भी प्रकार से व्यथित हो, ऐसा व्यक्ति अपील दायर कर सकता है परंतु उसे **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96-100** के अंतर्गत न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

13. तदनुसार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से यह निवेदन किया है कि उन्होंने अपील करने की अनुमति मांगने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और परिणामस्वरूप मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वयं ही विचारणीय नहीं थी।

14. उपरोक्त के अलावा, अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब माफी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विधिवत विचार किया है, और यह पाया है कि याचिकाकर्ता को 19.12.2012 को 19.02.2007 के निर्णय और आदेश के बारे में पूरी जानकारी थी लेकिन उक्त अपील दायर करने में कम से कम 6 साल की देरी के लिए कोई संतोषजनक

स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे दिनांक 19.02

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 05.06.2010 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है। तदनुसार, यह रिट याचिका गुण-दोष रहित है और इसे एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

रवि/

[न्यायमूर्ति आलोक माथुर]

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।